न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

मु0नं0 :– 36/2024
निर्णय दिनांक :– 27.03.2025
पीठसीन अधिकारी :– राकेश कुमार II (आर0ए0एस0)

1. रामकुंवार पुत्र केसरा
2. रामनलाल पुत्र केसरा
3. लक्ष्मण पुत्र केसरा
4. हेमराज पुत्र केसरा

समस्त जातियान बैरवा निवासीयान जगन्नाथपुरा तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान।

प्रार्थीगण

बनाम

1. अनोखी पत्नि रतना
2. धन्नी पत्नि हीरा
3. धापू पत्नि गोपी
4. नाथू पुत्र गोपी
5. पप्पू पुत्र हीरा
6. बलराम पुत्र हीरा
7. भैरू पुत्र हीरा
8. महावीर पुत्र गोपी
9. रमेश पुत्र हीरा
10. रामस्वरूप पुत्र भीवा
11. हंसराज पुत्र रामस्वरूप दत्तक पुत्र धन्ना

समस्त जातियान बैरवा निवासीयान जगन्नाथपुरा तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान।

12. तहसीलदार तहसील फागी जिला जयपुर

अप्रार्थीगण

उपस्थिति विद्वान अधिवक्ता :– श्री भोजराज सिंह राजावत वकील प्रार्थीगण
श्री रामस्वरूप चौधरी वकील अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र धारा 111 व 128 एल.आर.एक्ट

लगातार.....2

उपखण्ड अधिकारी
फागी

निर्णय दिनांक :– 27.03.2025

1. वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विवादग्रस्त आराजी खतौनी सं. 57 के आराजी ख.नं. 36/2 रकबा 2.2761 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 37/1 रकबा 1.8209 हैक्टेयर भूमि वाके जगन्नाथपुरा तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित आराजी के प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है। अप्रार्थीगण, प्रार्थीया के कब्जे काश्त की उपर्युक्त भूमि में विवाद उत्पन्न करने लगे तो प्रार्थीया ने आराजी भूमि का विधिवत रूप से तहसीलदार फागी के आदेश क्रमांक/भू0अभि0/23/412/कैम्प लसाडिया दिनांक 09.06.2023 की पालना में दिनांक 21.06.2023 को पटवार हल्का नीमेडा ने मौके पर खातेदार व अन्य पडोसी खातेदार के समक्ष नक्शा शीट से जरीब चलाकर उक्त खसरा नम्बरान के सीमा चिन्ह कायम कर बताये गये तथा मुताबिक राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व नक्शें के अनुसार हुए सीमाज्ञान दिनांक 21.06.2023 फर्द मौका रिपोर्ट सीमाज्ञान प्रस्तुत की। जब सीमाज्ञान पूर्ण हो गया तो अप्रार्थीगण उक्त सीमाज्ञान की अनदेखी करने लगे तथा मुताबिक राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व नक्शें के अनुसार हुए सीमाज्ञान दिनांक 21.06.2023 में कायम किये गये निशानात को अप्रार्थीगण द्वारा मिटाने पर आमादा हो गये। अप्रार्थीगण नहीं चाहते कि उक्त आराजी का विवाद समाप्त हो और प्रार्थीगण अपनी खातेदी भूमि पर शान्तिपूर्वक काश्त कर सकें। जिस हेतु विधि अनुसार किये गये सीमाज्ञान को नहीं मानते एवं प्रार्थीया की आराजीयात के कब्जे काश्त में आये दिन मजाहमत करते है क्योंकि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी नहीं हो रखी है। उपर्युक्त वर्णित आराजी का सीमाज्ञान आदेश क्रमांक/भू0अभि0/23/412/कैम्प लसाडिया दिनांक 09.06.2023 को तहसीलदार फागी के आदेश पर हुए सीमाज्ञान दिनांक 21.06.2023 को हुए सीमाज्ञान एवं कायम किये निशानात को अप्रार्थीगण नहीं मानते तथा प्रार्थीगण से आये दिन मेर कोर को लेकर लड़ाई झगड़ा करते है तथा पत्थरगढ़ी नहीं होने से अप्रार्थीगण विवाद उत्पन्न करते है इस कारण प्रार्थीगण को यह पत्थरगढ़ी प्रार्थना पत्र पेश करना लाजिमी हुआ है। तहसीलदार फागी के आदेशानुसार किये गये सीमाज्ञान दिनांक 21.06.2023 के अनुसार यदि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान किये जाकर पत्थरगढ़ी कर दी जाती है तो मौके पर उपस्थित विवाद समाप्त हो सकेगा। श्रीमान न्यायलय को प्रकरण में पत्थरगढ़ी के आदेश करने का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई। अप्रार्थी सं. 1, 3 लगायत 8 व 10, 11 की ओर से रामस्वरूप चौधरी ने वकालतनामा पेश किया। वकील प्रार्थी ने 2 व 9 नं. अप्रार्थी का नाम हजफ

उपखण्ड अधिकारी
फागी

करने का प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थना पत्र नाम हजफ स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं0 02 व 09 का नाम हजफ किया गया।

3. बहस विद्वान अधिवक्ता सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4. बहस पर मनन एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि हस्तगत प्रकरण पत्थरगढी का प्रस्तुत किया गया है। मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 वाके ग्राम जगन्नाथपुरा के खाता सं0 57, के आराजी ख0नं0 36/2, 37/1 में प्रार्थीगण रिकॉर्डेड खातेदार है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र मे अंकन किया है कि उक्त आराजी का विधिवत सीमाज्ञान दिनांक 21.06.2023 को करवा लिया है उसके बावजूद भी अप्रार्थीगण आये दिन प्रार्थी की भूमि मे अवैधनिक रूप से अतिक्रमण कर कब्जा करना चाहते है। उपरोक्त तथ्यो के आलोक मे हम प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पक्षकारान की उपस्थिति मे पुनः सीमाज्ञान कर पत्थरगढी किया जाना उचित समझते है।

–:आदेश :–

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खाता सं0 352 के ख0नं0 57, के आराजी ख0नं0 36/2, 37/1 भूमि वाके ग्राम जगन्नाथपुरा तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित आराजीयात के पडौसी खातेदारान को नोटिस जारी किया जाकर, पडौसी खातेदारान की उपस्थिति मे पुनः सीमाज्ञान करते हुये पत्थरगढी किये जाने के आदेश तहसीलदार फागी को दिये जाते है। पत्थरगढ़ी केवल सीमाचिह्न की जानकारी मात्र हेतु की जावें। कब्जे सम्बंधी विवाद हो तो सक्षम न्यायालय में सक्षम धाराओं में चाराजोही कर अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है।

निर्णय आज दिनांक 27.03.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

27/3/25

(राकेश कुमार II)
उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला जयपुर